| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20/12/23 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों को नोटिस पूर्व में रजिस्ट्रड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 1 साल का समय व्यतीत हो चुका है। विप्रार्थीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्राथी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओ पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिसमें से प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्राथी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत् नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।<br><br>अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करा कर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>सहायक कलक्टर (SDO)<br>बायतु<br>जिला – बाड़मेर | |

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : वाद/2023/1387

दिनांक : 20/12/23

**प्रार्थी**
विरधाराम पुत्र सुखाराम जाति भाट निवासी रायचन्दपुरा सेवनियाला तहसील बायतु

**बनाम**

**विप्रार्थी**
लाखाराम पुत्र फुसाराम वगैरा 21 जातियान मेघवाल, निवासी रायचन्दपुरा सेवनियाला तहसील बायतु

---

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

---

**राजस्व आवेदन संख्या : 192/2021**

## आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रायचन्दपुरा, पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 463/392 रकबा 6.4396 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 1000/–जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
जिला – बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2023/1388-1392

दिनांक : 20.12.23

**प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी विरधाराम पुत्र सुखाराम
4. विप्रार्थी लाखाराम पुत्र फुसाराम
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर